न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 39 / 2021 / आवेदन 251–ए

1. मोतीराम पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ग्राम मदनी (मण्डा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. भागीरथ पुत्र हणमान जाति जाट निवासी ग्राम मदनी (मण्डा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

व ना म

1. फुलाराम पुत्र जौरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मदनी (मण्डा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. बीरबल पुत्र जोरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मदनी (मण्डा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. बाबूलाल पुत्र जोरूराम जाति जाट निवासी ग्राम मदनी (मण्डा) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कार्यालय दांतारामगढ जिला सीकर।
5. प्रबन्धक बड़ौदा राज0 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डा (मदनी) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251–ए

उपस्थिति–

1. श्री रतनलाल पलसानियां वकील प्रार्थी की ओर सें।
2. श्री नन्दलाल धायल अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

नि र्ण य **दिनांक – 18.08.2021**

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की भूमि खसरा 664 वाके ग्राम मदनी प0ह0 मण्डा मदनी तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आने व जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की भूमि खसरा नम्बर 659 में दक्षिण सीमा के सहारे सहारे होकर 6 मीटर चौडा रास्ता जो की खसरा नम्बर 678 / 1285 गै0मू0 रास्ता से शुरू होकर खसरा नम्बर 664 की पश्चिम सीमा तक मौके पर रास्ता कायम है, जिसको अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

कदान / रकबा राज दर्ज करवाना चाहते है। प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण के पास उक्त कायम रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता न होने से अप्रार्थीगण से निवेदन किये जाने पर अप्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकृत से अप्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा नम्बर 659 में मौके पर रास्ता कायम किया गया है तथा इसके बदले में प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की भूमि में से अप्रार्थीगण के पारिवारिक सदस्या एवं अप्रार्थी सं. 2 बीरबल की पुत्रवधु श्रीमती पप्पुदेवी पत्नि ताराचन्द जाति जाट निवासीनी मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के पक्ष में दिनांक 02.06.2021 को विकल्प पत्र सक्षम उप-पजींयक पलसाना सीकर के समक्ष निष्पादित एवं पजीबद्ध करवा दिया है। इस प्रकार अप्रर्थीगण द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 659 में प्रार्थीगण को दिये गये रास्ते की भूमि के बदले में दुगुनी भूमि प्रार्थीगण से प्राप्त कर ली है। उक्त कायम रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। उक्त रास्ता सुगम व निकटतम है व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। उक्त रास्ते के बिना प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि के उपयोग. उपभोग करने से सम्पूर्णतया वंचित थे। इसी आवश्यकता के तहत अप्रार्थीगण की सहमति एवं स्वीकृति से मौके पर रास्ता कायम किया गया है तथा कायम रास्ते में आने वाली कृषि भूमि के बदले में दुगुनी भूमि प्रतिकर के रूप में अप्रार्थीगण प्राप्त कर चुके है। इसलिए खसरा नम्बर 659 में से रास्ता में आने वाली भूमि को निर्वापित कर गै0मू0 रास्ता के रूप में दर्ज किया जाना प्रार्थनीय है। अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 659 में कायम रास्ता निर्वापित करके अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाकर रास्ता को राजस्व रिकार्ड में गै0मू0रास्ता रकबा राज दर्ज किया जाना सादर प्रार्थनीय है।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी। आवेदन प्रकरण में अंकित खसरा नम्बर 659 के साथ-साथ खसरा नम्बर 664 / 1286 अंकित किये जाने हेतु पेश किया जिसे बाद सुनवाई कर स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 ने राजीनामा पेश किया। प्रार्थीगण की पहचान वकील श्री रतनलाल पलसानीया ने की तथा अप्रार्थी सं 1 ता 3 की पहचान वकील श्री नन्दलाल घायल ने की। राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामा में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता मौके पर अप्रार्थीगण सं 1 लगायत 3 की खातेदारी शुदा कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 659 एवं खसरा नम्बर 664/1286 में दक्षिण सीमा के सहारे सहारे खसरा 678/1285 से शुरू होकर खसरा नम्बर 664 की पश्चिम सीमा तक मौके पर कायम किया हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ता मौके पर कायम किया गया है उसके बदले में अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से 0.1523 हैक्टर भूमि प्राप्त कर ली है। प्रार्थीगण द्वारा वांछित रास्ते के संबध में माननीय न्यायालय के आदेशानुसार दिनांकित 22.06.2021 को मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है जिस पर अप्रार्थीगण सं 1 लगायत 3 ने अपने हस्ताक्षर कर दिये है। मौका रिपोर्ट के मुताबिक अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी से कम कर रकबा गै0मू0रास्ता दर्ज किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। तहसीलदार दांतारामगढ से रास्ते संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट मय डीएलसी दर संबंधी विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसमें कथन किया कि मौके पर खसरा नम्बर 678/1285 किस्म गै0मू0रास्ता से शुरू होकर खसरा नम्बर 659 व 664/1286 की दक्षिण सीमा के सहारे सहारे मौके पर 5.5 मीटर चौडा रास्ता चालू है। रास्ता आवेदक के खेत तक जाने आने का निकटतम दुरी का रास्ता है जो मौके पर रास्ते के रूप में काम आ रहा है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। खसरा नम्बर 659 में से 90 गुणा 5.5 मीटर 495 वर्ग मीटर व खसरा नम्बर 664/1286 में से 20 गुणा 5.5 मीटर 110 वर्ग मीटर अर्थात कुल रकबा 605 वर्ग मीटर भूमि बनती है। उक्त रास्ते के एवज में पूर्व में ही दस्तावेज विक्रय पत्र दिनांक 02.06.2021 के द्वारा कुल रकबा 0.1523 है0 अर्थात 1523 वर्ग मीटर का कब्जा कर रास्ते के रूप में काम ले रहे है। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस वकील प्रार्थीगण की सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

3. वहां विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, राजीनामा व पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता होने की स्थिति मे सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तकार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। राजीनामा व तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यधिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट व राजीनामा के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 664 के निकटतम खसरा नम्बर 659 व खसरा नम्बर 664/1286 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नम्बर 659 रकबा 1.50 है0 में से दक्षिणी सीमा के सहारे–सहारे रकबा 495 वर्ग मीटर अर्थात 0.0495 है0 भूमि तथा खसरा नम्बर 664/1286 रकबा 0.18 है0 में से दक्षिण सीमा के सहारे–सहारे 110 वर्ग मीटर अर्थात 0.0110 है0 भूमि अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 की खातेदारी में से कम करते हुये प्रार्थीगण को नियमानुसार रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर-मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/8/21

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़